

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 04 अप्रैल, 2018

विषय:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई एवं जून 2018 हेतु मासिक मिट्टी तेल का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पेट्रोलियम प्लानिंग एवं एनालिसिस सैल, भारत सरकार के पत्र सं0-डी-11013/01/2017-IV दिनांक-13.03.2018 एवं राज्य स्तरीय समन्वयक-तेल उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0-डी0डी0एन0डी0ओ0/एम0/24, दिनांक-14.03.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-जी0 आई0-41/29-7-53 (के0ओ0) दिनांक 09 जुलाई, 1990 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए वर्ष 2018-19 के प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई एवं जून 2018 हेतु जनपदवार/कम्पनीवार/थोक मिट्टी तेल विक्रेतावार उपभोक्ताओं को मासिक आवंटन संलग्नक में उल्लिखित मात्रानुसार कुल 1633 के0एल0 मासिक मिट्टी तेल का आवंटन किया जा रहा है। इस संबंध में प्रत्येक जनपद के सम्मुख स्टैंडर्ड आवंटन के अन्तर्गत जो मात्रा दी जा रही है वह केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दुकानदारों के माध्यम से राशन कार्ड पर निर्धारित दर में नियमानुसार वितरित की जायेगी। इस मात्रा को किसी भी स्थिति में किसी अन्य प्रयोजनों में नहीं लाया जायेगा।

2- मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, भारत सरकार नई दिल्ली के अ0शा0प0सं0-पी0-21016/18/2015-वितरण-23652 दिनांक-26.08.2016 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में 43.9 प्रतिशत की सीमा तक मिट्टी तेल के विपथन होने का उल्लेख किया गया है, इसलिये समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जनपद में मात्र पात्र लाभार्थियों, जिनके पास बिजली अथवा गैस कनेक्शन न हो, को मिट्टी तेल का वितरण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा किसी भी दशा में मिट्टी तेल का विपथन न होने पाये। इसके साथ ही समस्त जिलाधिकारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उनके जनपद में कम्पनीवार/थोक विक्रेतावार सूची में यदि कोई विक्रेता चिकित्सकीय या अन्य अपरिहार्य कारण से मिट्टी तेल उठान करने में असमर्थ रहता है तो उसका आवंटन किसी अन्य उपयुक्त थोक विक्रेता को अपने स्तर से आवंटित करने पर विचार करने हुए तदनुसार शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रकरण में शासनादेश संख्या-1231/XIX-1/17-मि0ते0आवं0-112/2002 दिनांक-10.11.2017 एवं संख्या-182/XIX-1/17-मि0ते0आवं0-112/2002 दिनांक-03.04.2018 तथा तत्संबंधी विभिन्न पत्रों/अ0शा0 पत्रों के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया था कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे राशन कार्ड धारकों, जिनके पास एल0पी0जी0 गैस एवं विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं उनका मिट्टी तेल वितरण की पात्रता सूची से हटाते हुए अपात्र घोषित कर शासन को तत्सम्बन्धी विवरण के अनुसार वास्तविक रूप से पात्र लाभार्थियों के राशन कार्डों की संख्या के आधार पर मिट्टी तेल की मांग उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त आदेशों के क्रम में जनपदों से अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

4. शासन द्वारा मिट्टी तेल आवंटन जिलाधिकारियों को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वह जिलाधिकारी से समन्वय करते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत कर सम्बन्धित जनपद में क्षेत्रवार वास्तविक रूप से मिट्टी के तेल के पात्र लाभार्थियों की संख्या का सही आंकलन उपलब्ध कराते हुए वास्तविक संख्या के आधार पर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मिट्टी तेल का उठान से सम्बन्धित आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे जिससे मिट्टी तेल के दुरुपयोग/अपमिश्रण की सम्भावना न रहे।
5. उपरोक्त प्रस्तर-04 की कार्यवाही के उपरान्त यदि जिलाधिकारी यह उचित समझेंगे कि उनके जनपद में वास्तविक रूप से पात्र लाभार्थियों हेतु वास्तविक मिट्टी तेल की मात्रा से अधिक आवंटन शासन द्वारा किया गया है तो तदनुसार शासन को तत्सम्बन्धी सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी तथा अधिक आवंटित मिट्टी तेल को तत्काल समर्पित किया जायेगा।
6. उपरोक्त प्रस्तर-04 एवं 05 में उल्लिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अधीन शासन द्वारा आवंटित मिट्टी तेल का आवंटन प्राप्त होने के 01 सप्ताह के भीतर कार्यवाही पूर्ण करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारियों का होगा तथा जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को अवगत कराया जायेगा। किसी भी दशा में उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण किये बिना आवंटित मिट्टी तेल का उठान सम्बन्धी आदेश जिलाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं किया जायेगा।
7. जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मिट्टी तेल आवंटन से सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 02 लीटर प्रतिकार्ड तथा मैदानी क्षेत्र में 01 लीटर प्रतिकार्ड आवंटन का प्राविधान होने के दृष्टिगत जिले में वास्तविक रूप से पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष इसी मात्रा में मिट्टी तेल उठान का आदेश निर्गत किया जायेगा, जिससे किसी भी दशा में मिट्टी तेल का दुरुपयोग न हो।
8. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए जहां कही आवश्यकता हो एक स्पेशल कोटे के तहत छात्रों/छात्रवासों, शिक्षण सस्थाओं, विवाह, अन्त्योष्टि, ईट भट्टे में कार्यरत मजदूरों तथा सरकारी उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार आवंटन किया जायेगा जिसकी सूचना जिलाधिकारी द्वारा शासन को उपलब्ध करानी होगी।
9. राश जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा "श्री स्टेज चैकिंग" करायी जायेगी। किसी भी दशा में मिट्टी तेल का डाइवर्जन/अपमिश्रण न हो, जिसका विशेष ध्यान रखा जायेगा।
10. मिट्टी तेल का शतप्रतिशत सही वितरण सुनिश्चित किया जायेगा, तथा एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी (सिंगल बॉटल) राशनकार्ड धारकों को भारत सरकार से, मिट्टी तेल का कम आवंटन प्राप्त होने के दृष्टिगत मिट्टी तेल अनुमन्य नहीं किया जायेगा। बिना एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी राशन कार्ड धारकों को 01 लीटर प्रति राशन कार्ड मैदानी क्षेत्र में तथा 02 लीटर, प्रति राशन कार्ड पर्वतीय जनपदों में मिट्टी तेल वितरित किया जायेगा। डी0बी0सी0 कनेक्शनधारी के राशनकार्ड पर मिट्टी का तेल अनुमन्य नहीं होगा।
11. जिलाधिकारी अपने जनपद में मिट्टी तेल की मांग/उपलब्धता/आपूर्ति को देखते हुये व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखेंगे।
12. प्रत्येक माह हेतु आवंटित मिट्टी तेल का उठान/वितरण उसी माह की अन्तिम तिथि तक प्रत्येक दशा में कर लिया जाय। माह अप्रैल, 2018 हेतु आवंटित मिट्टी तेल आवंटन का उठान किये जाने की अनुमति दिनांक 20.05.2018 तक प्रदान की जाती है।
13. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे की अपात्र राशन कार्डधारी को मिट्टी का तेल आवंटन किसी भी दशा में न किया जाय।

14. उल्लेखनीय है कि, भारत सरकार द्वारा, प्रत्येक त्रैमास हेतु, उत्तराखण्ड राज्य, को आवंटित मिट्टी तेल के कोटे की मात्रा में निरन्तर कटौती की जा रही है। इसके दृष्टिगत, किन्हीं एजेन्सियों द्वारा उठान न किये जाने की स्थिति में, जिला पूर्ति अधिकारी अपने स्तर से, अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि, ऐसी कितनी एजेन्सियां हैं, जो प्रथम त्रैमास हेतु आवंटित कोटे का कतिपय कारणों से पूर्ण/आंशिक उठान नहीं कर पा रही हैं, साथ ही इसकी सूचना प्रत्येक जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा प्रत्येक दशा में त्रैमास समाप्त होने से पूर्व शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या-608 (1)/ XIX-1/18-मि0ते0आवं0-112/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- उप सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- आयुक्त गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
- 5- राज्य स्तरीय समन्वयक उत्तराखण्ड, आई0ओ0सी0 देहरादून/बरेली को जनपदवार/एजेंसीवार/थोक विक्रेतावार मिट्टी तेल के आवंटन की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि वह सम्बन्धित तेल डिपो तथा सम्बन्धित तेल कम्पनी को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन तथा सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी स्तर से निर्देश/आदेश के उपरान्त ही मिट्टी तेल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 6- क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच0पी0सी0एल0, 1 नेशविला रोड, देहरादून।
- 7- क्षेत्रीय प्रबन्धक, बी0पी0सी0एल0, प्रादेशिक कार्यालय, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 एरिया, लन्डौरा, रुड़की, जिला-हरिद्वार।
- 8- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- प्रमुख निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी/मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 10- महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
- 11- समन्वयक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, सचिवालय देहरादून।
- 12- प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
- 13- गार्ड फाइल।


आज्ञा से,


(अनिल कुमार पाण्डे)
अनु सचिव।



जनपदवार आवंटन माह अप्रैल, मई एवं जून 2018 (के0एल0 में)

जिला कोड	जिला का नाम	मासिक आवंटन	BPC	HPC	IOC
1	उत्तरकाशी	34	12	-	22
2	चमोली	14	-	-	14
3	रूद्रप्रयाग	36	-	-	36
4	टिहरी गढ़वाल	87	-	-	87
5	देहरादून	282	-	72	210
6	पौड़ी गढ़वाल	190	-	-	190
7	पिथौरागढ़	156	36	30	90
8	बागेश्वर	46	46	-	-
9	अल्मोडा	164	-	18	146
10	चम्पावत	44	24	-	20
11	नैनीताल	112	20	24	68
12	ऊधमसिंह नगर	280	82	12	186
13	हरिद्वार	188	44	54	90
	योग	1633	264	210	1159




 (आनंद बर्द्धन)
 प्रमुख सचिव।




जनपदवार आवंटन माह अप्रैल, मई एवं जून, 2018 (के0एल0 में)

कम्पनी	थोक विक्रेता	आवंटन	आवंटन	कुल आवंटन
HPC	मै0 कुमाऊ पेट्रोलियम मि0ते0 थोक विक्रेता- अल्मोड़ा			18
IOC	मै0 ऋषि कुमार, सुशील कुमार थोक मि0ते0 विक्रेता- अल्मोड़ा			90
IOC	मै0 टेनिमल भोपतराम मि0ते0 थोक विक्रेता अल्मोड़ा- अल्मोड़ा			56
	योग			164
BPC	मै0 जय अम्बे ऑयल कम्पनी- बागेश्वर			36+10 (10 के0एल0 आपदा विशेष मांग हेतु)
	योग			46
IOC	मै0 मंगूमल चन्द्रप्रकाश, कर्णप्रयाग - चमोली			07
	योग			07
BPC	मै0 जय अम्बे ऑयल कम्पनी - चम्पावत			24
IOC	मै0 कर्ण सिंह एण्ड संस - चम्पावत			0
IOC	मै0 शारदा फिलिंग स्टेशन, टनकपुर - चम्पावत			0
	योग			24
BPC	मै0 आर0एस0 अग्रवाल एण्ड संस - देहरादून			0
HPC	मै0 अग्रवाल ट्रेडर्स एण्ड संस- देहरादून			20
HPC	मै0 गढ़वाल गैसोलीन ऋषिकेश- देहरादून			12
HPC	मै0 यमुना ऑयल कम्पनी विकासनगर - देहरादून			20
HPC	मै0 राजेन्द्र प्रसाद जगदीश प्रसाद- देहरादून			20
IOC	मै0 कृष्णा ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स - देहरादून चकराता			20
IOC	मै0 गणपराय ओमप्रकाश- देहरादून			20
IOC	मै0 प्रकाश ऑयल ट्रेडर्स- देहरादून			20
IOC	मै0 बबू लाल एण्ड संस- देहरादून			00

(Handwritten Signature)

IOC	मै0 मेघदूत सर्विस स्टेशन- देहरादून			20
IOC	मै0 मसूरी फिलिंग स्टेशन- देहरादून			10
IOC	मै0 यूनाईटेड एजेन्सी - देहरादून			50
IOC	मै0 राधा कृष्ण ऑयल- देहरादून			20
IOC	मै0 विकास ऑयल ट्रेडर्स विकासनगर- देहरादून			20
IOC	मै0 श्यामलाल बाला प्रसाद ऋषिकेश- देहरादून			30
	योग			282
IOC	मै0 लक्ष्मी ऑयल डिस्ट्रिब्यूटर्स उखीमठ -रुद्रप्रयाग	02 के0एल0 चमोली	10के0एल0 पौड़ी, 13+5 के0एल0 रुद्रप्रयाग (05 के0एल0 आपदा विशेष मांग हेतु)	30
IOC	मै0 बी0पी0 काला एण्ड कम्पनी-रुद्रप्रयाग		13+5 (05 के0एल0 आपदा विशेष मांग हेतु)	18
	योग			48
IOC	मै0 ऋषिकुमार सुशील कुमार जडाउखान - पौड़ी गढ़वाल			36
IOC	मै0 कालेश्वर ऑयल एजेन्सी - पौड़ी गढ़वाल			30
IOC	मै0 डी0सी0डी0एफ0लि0 कोटद्वार- पौड़ी गढ़वाल			20
IOC	मै0 प्रकाश चन्द्र विष्णु कुमार कोटद्वार- पौड़ी गढ़वाल			30
IOC	मै0 बिनायक ऑयल एजेन्सी पौड़ी - पौड़ी गढ़वाल			20
IOC	मै0 बी0पी0 काला कम्पनी कोटद्वार- पौड़ी गढ़वाल			20
IOC	मै0 मंगूमल चन्द्रप्रकाश मि0ते0 थोक विक्रेता कोट - पौड़ी गढ़वाल			24
	योग			180
BPC	मै0 अशोक ऑयल ट्रेडिंग कम्पनी - हरिद्वार			20
BPC	मै0 आटो साईकिल सेल्स हरिद्वार- हरिद्वार			24
HPC	मै0 शीतल प्रसाद रहतुराम- हरिद्वार			24



HPC	मै० हरशरण राजेन्द्र प्रसाद ज्वालापुर- हरिद्वार			30
IOC	मै० जनता ऑयल स्टोर रुड़की- हरिद्वार			30
IOC	मै० ज्योति कैरोसिन ट्रेडिंग एजेन्सी - हरिद्वार			30
IOC	मै० सत्य आयल ट्रेडर्स लक्सर- हरिद्वार			30
IOC	मै० हरिद्वार कैरोसिन ट्रेडिंग एजेन्सी - हरिद्वार			0
	योग			188
BPC	मै० कुमांऊ ऑयल डिस्ट्रिब्यूटर्स भवाल - नैनीताल			0
BPC	मै० माजदा ऑयल कम्पनी- नैनीताल			20
HPC	मै० मकखन लाल शान्ति प्रसाद रामनगर- नैनीताल			24
IOC	मै० ऋषि कुमार सुशील कुमार रामनगर - नैनीताल	05के०एल० चमोली	30के०एल० नैनीताल	35
IOC	मै० कर्ण सिंह एण्ड संस हल्द्वानी- नैनीताल			0
IOC	मै० टेनिमल भोपतमल- नैनीताल			18
IOC	मै० पर्वतीय ऑयल कम्पनी- नैनीताल			20
IOC	मै० महेश चन्द्र अनिल कुमार हल्द्वानी- नैनीताल			0
IOC	मै० लालता प्रसाद रामनारायण रामनगर- नैनीताल			0
IOC	मै० सतीश चन्द शाह नैनीताल- नैनीताल			0
	योग			117
BPC	मै० जय अम्बे ऑयल कम्पनी - पिथौरागढ़			12
BPC	मै० हरवंश मोटर वर्क्स- पिथौरागढ़			24
HPC	मै० मा भगवती पेट्रोलियम मुन्सयारी- पिथौरागढ़			30
IOC	मै० कर्ण सिंह एण्ड संस- पिथौरागढ़			0
IOC	मै० मलय ऑयल कम्पनी- पिथौरागढ़	80 के०एल० पिथौरागढ़	20 के०एल० चम्पावत	100
IOC	मै० हरलाल तुलघरिया एण्ड संस- पिथौरागढ़			10
	योग			176

IOC	मै0 अविनाश ऑयल कम्पनी मुनीकीरेती - टिहरी			0
IOC	मै0 केशव थपलियाल देवप्रयाग- टिहरी			0
IOC	मै0 गढ़वाल ऑयल चम्बा- टिहरी			23
IOC	मै0 देवकी ऑयल धौलधार- टिहरी			40
IOC	मै0 शक्ति ऑयल ड्रिस्ट्रब्यूटर्स कोटी कॉलोनी- टिहरी			24
IOC	मै0 शिवालिक ऑयल ड्रिस्ट्रब्यूटर्स जखनाली- टिहरी			0
	योग			87
BPC	मै0 कपूर ट्रांसपोर्ट काशीपुर - ऊधमसिंहनगर			0
BPC	मै0 किच्छा फियूल ऑयल - ऊधमसिंहनगर			18
BPC	मै0 चन्द्र सेम राम यशपाल जसपुर- ऊधमसिंहनगर			20
BPC	मै0 भिक्खू मल प्यारे लाल काशीपुर- ऊधमसिंहनगर			20
BPC	मै0 हजारी लाल एण्ड कम्पनी गदरपुर- ऊधमसिंहनगर			24
HPC	मै0 नारायण सिंह एण्ड संस सितारगंज- ऊधमसिंहनगर			12
HPC	मै0 राम मोहन अग्रवाल काशीपुर- ऊधमसिंहनगर			0
HPC	मै0 राम मोहन अग्रवाल बाजपुर- ऊधमसिंहनगर			0
IOC	मै0 सतीश ऑयल किच्छा- ऊधमसिंहनगर			20
IOC	मै0 अहूरा पटोलियम खटीमा- ऊधमसिंहनगर			10
IOC	मै0 गर्ग ऑयल बाजपुर- ऊधमसिंहनगर			0
IOC	मै0 नेशनल ऑयल बाजपुर- ऊधमसिंहनगर			45
IOC	मै0 मुनेश कुमार एण्ड बद्रर्स काशीपुर- ऊधमसिंहनगर			27
IOC	मै0 रामगोपाल भगवत शरण, खटीमा- ऊधमसिंहनगर			48
IOC	मै0 हिन्द ऑयल गदरपुर- ऊधमसिंहनगर			36
	योग			280

BPC	मै० सॉई ऑयल ट्रेडर्स, नौगॉव – उत्तरकाशी			12
IOC	मै० अविनाश ऑयल कम्पनी– उत्तरकाशी			0
IOC	मै० जयदीप ऑयल कम्पनी– उत्तरकाशी			10
IOC	मै० हिमालय ऑयल ट्रेडर्स राजगढी – उत्तरकाशी			12
	योग			34
	सहायोग	–	–	1633



(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

